M-11015/177/2022-CB
Government of India
Ministry of Panchayati Raj

11th Floor, Jeevan Prakash Building,
K. G. Marg, New Delhi
Dated: 26th September, 2022

Subject: Minutes of the fourth meeting of Central Empowered Committee (CEC) of Revamped Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA) held on 06.09.2022

Please find attached herewith a copy of the minutes of the fourth meeting of CEC of Revamped RGSA held on 06/09/2022 at Conference Room, 9th floor, Jeevan Bharati Building, New Delhi under the Chairmanship of Secretary (PR) for information and necessary action.

Pankaj

(Pankaj Kumar)
Under Secretary to the Government of India
Tel. 011 – 2375 3817

To,

(i) All members of the Central Executive Committee (CEC)
(ii) All participants of the meeting

Copy to: PS to JS(RY)

Copy also to. NIC cell for uploading in the Ministry's website

6 सितंबर **2022** को आयोजित संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की चौथी केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) की बैठक का कार्यवृत्त

वर्ष 2022-23 के लिए संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) की चौथी बैठक 6 सितंबर, 2022 को सचिव, पंचायती राज मंत्रालय की अध्यक्षता में 9वीं मंजिल, जीवन भारती बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली में आयोजित की गई। प्रतिभागियों की सूची अनुबंध-X में दी गई है।

2. सचिव, एमओपीआर और सीईसी के अध्यक्ष, सीईसी के सदस्यों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए, एमओपीआर के संयुक्त सचिव ने बैठक के एजेंडे को संक्षेप में साझा किया।

3. इसके बाद, पंचायती राज मंत्रालय के सचिव और सीईसी के अध्यक्ष ने अपने प्रारंभिक भाषण में कहा कि संशोधित आरजीएसए को सरकार ने 5911 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मंजूरी दी है, जिसमें 3700 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा और 2211 करोड़ रुपये का राज्य हिस्सा शामिल है, जिसे 2022-23 से 2025-26 तक लागू करने के लिए सतत विकास लक्ष्यों (एलएसडीजी) के स्थानीयकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसे बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाने और राज्यों द्वारा संस्थागत बनाने की आवश्यकता है। एनआईआरडी एंड पीआर ने एलएसडीजी के विषयगत दृष्टिकोण के आधार पर नए प्रशिक्षण मॉड्यूल / पाठ्यक्रम विकसित किए हैं और मास्टर ट्रेनरों के विषयगत प्रशिक्षण शुरू किए हैं।

4. उन्होंने आगे कहा कि संशोधित आरजीएसए एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका लक्ष्य बड़ी संख्या में ईआर और पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करना है उन्होंने यह भी कहा कि मंत्रालय क्षमता निर्माण आयोग (सीबीसी) के साथ बातचीत कर रहा है, जिसने मॉक ग्राम सभाओं, योजना तैयार करने के अभ्यास आदि जैसे करके सीखने पर ध्यान केंद्रित करते हुए इंटरैक्टिव सीबीएंडटी के लिए उभरती हुई तकनीकों के उपयोग का सुझाव दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रशिक्षण की पद्धति को उचित रूप से संशोधित करने की आवश्यकता है और केवल कक्षा प्रशिक्षण के बजाय, क्षेत्र का दौरा, प्रदर्शन यात्रा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा हितधारकों की व्यापक क्षमता निर्माण के लिए ऑडियो विजुअल एड्स को अपनाया जाना चाहिए। विशेष सीबीएंडटी के लिए इन संस्थानों में भेजे जाने के लिए अधिक विशिष्ट प्रशिक्षण संस्थानों और ईआर और पीआरआई के कार्यकर्ताओं की छोटी एकजुट टीमों की पहचान करने की आवश्यकता है।

5. सीईसी के अध्यक्ष ने कहा कि राज्यों की स्वीकृत योजना में राज्य का हिस्सा और प्रतिबद्ध दायित्व शामिल है, जिसे कैरी ओवर गतिविधि के रूप में अनुमोदित किया जा रहा है। इसलिए, स्वीकृत योजना का आकार बड़ा दिखता है। सीईसी के अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि:

(i) सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की नवीन और आर्थिक विकास एवं आय वृद्धि परियोजनाओं पर अतिरिक्त सचिव, एमओपीआर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा विचार किया जाएगा और समिति की सिफारिशें सीईसी के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाएंगी।

(ii) आरजीएसए-एमआईएस और प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल (टीएमपी) पर प्रगति रिपोर्ट: राज्य/संघ शासित प्रदेश

आरजीएसए-एमआईएस और टीएमपी में प्रगति को तुरंत अपडेट करना सुनिश्चित करें। यदि आरजीएसए-एमआईएस/टीएमपी के अपडेट के संबंध में कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो उसे तुरंत मंत्रालय की तकनीकी टीम के ध्यान में लाया जा सकता है। प्रतिभागियों को ई-प्रमाणपत्र जारी किया जाना चाहिए।

(iii) सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली: सभी राज्यों को पीएफएमएस के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन करने तथा इस संबंध में समय-समय पर व्यय विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया गया।

(iv) सभी राज्यों को पीएफएमएस, एसएनए आदि के संबंध में डीओई के विभिन्न निर्देशों का अनुपालन तुरंत पूरा करना है, ताकि स्वीकृत योजनाओं की रिलीज योग्य राशि को जल्द से जल्द राज्यों को जारी करने के लिए संसाधित किया जा सके।

(v) राज्यों को केंद्र सरकार से धनराशि जारी होने के बाद राज्य नोडल खाते में राज्य के हिस्से के साथ केंद्रीय निधि जारी करनी चाहिए।

6. इसके बाद, अध्यक्ष की अनुमति से बैठक के एजेंडे पर विचार किया गया। संयुक्त सचिव ने कहा कि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कार्य योजनाओं का मूल्यांकन किया गया, जिसमें विषयगत प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट और मास्टर ट्रेनर आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया।

एजेंडा-1: सीएससी सह-स्थान के लिए 4612 अतिरिक्त कमरों के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश राज्य की गतिविधि को आगे बढ़ाना

1.1 दिनांक 22.07.2022 को आयोजित तीसरी सीईसी बैठक में उत्तर प्रदेश की 2022-23 की एएपी पर विचार किया गया तथा 514.69 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई, जिसमें सीएससी को-लोकेशन के लिए 4612 अतिरिक्त कमरों के निर्माण की "सैद्धांतिक" स्वीकृति भी शामिल है, जिसकी लागत 230.60 करोड़ रुपये (5 लाख रुपये) है, बशर्ते कि धीमी प्रगति के कारण, प्रगति के साथ-साथ भविष्य की कार्ययोजना पर विस्तृत नोट प्रस्तुत किया जाए। राज्य सरकार ने दिनांक 27.07.2022 के पत्र के माध्यम से 2020-21 और 2021-22 में निर्माण न होने का कारण, सीएससी को-लोकेशन के लिए अतिरिक्त कमरों के निर्माण की प्रगति और भविष्य की कार्ययोजना प्रस्तुत की है तथा उत्तर प्रदेश राज्य के लिए कैरी ओवर गतिविधि के रूप में सीएससी को-लोकेशन के लिए 4612 अतिरिक्त कमरों के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया है।

1.2 सीईसी ने ग्राम पंचायतों की पहचान के बारे में पूछताछ की और 2022-23 के दौरान सीएससी को-लोकेशन के लिए सभी 4612 अतिरिक्त कमरों को पूरा करने के लिए कार्य योजना तैयार करने को कहा, क्योंकि इसे अगले वर्ष के लिए आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में जुड़े उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि ने उत्तर दिया कि वित्त वर्ष 2020-21 में सीएससी मद में कोई धनराशि नहीं बची, क्योंकि अंतर को भरना और पंचायत भवनों का निर्माण सरकार की प्राथमिकता थी। 2021-22 में 2800 से अधिक सीएससी प्रस्ताव प्राप्त हुए, लेकिन एसएनए और आदर्श आचार संहिता के कार्यान्वयन ने सीएससी फंड जारी करने में बाधा उत्पन्न की। इस वर्ष 1800 स्थानों की पहचान की गई है और सीएससी को-लोकेशन, पंचायत शायक को वीएलई के रूप में परिभाषित करते हुए एक जीओ जारी किया गया है।

1.3 सीईसी ने प्रस्ताव पर विचार किया और वर्ष 2022-23 की एएपी की योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य के लिए 230.60 करोड़ रुपये की लागत से सीएससी को-लोकेशन के लिए 4612 अतिरिक्त कमरों के निर्माण को

मंजूरी दी। राज्य सरकार उन सभी ग्राम पंचायतों की सूची उपलब्ध कराएगी, जिनमें सीएससी को-लोकेशन के लिए स्वीकृत अतिरिक्त कमरों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा, यह सुनिश्चित किया जाना है कि यह गतिविधि वर्ष 2022-23 के दौरान पूरी हो जाए, क्योंकि इसे अगले वर्ष के लिए आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।

एजेंडा-2: वर्ष 2021-22 के दौरान स्वीकृत 40,000/- रुपये की लागत से 1554 कंप्यूटरों की खरीद के लिए राजस्थान राज्य की आगे की गतिविधि।

2.1 30 जून, 2022 को आयोजित आरजीएसए की दूसरी केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में संशोधित आरजीएसए के तहत वर्ष 2022-23 के लिए राजस्थान की राज्य वार्षिक कार्य योजना पर विचार किया गया। चर्चा के दौरान, राजस्थान राज्य ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, 1554 कंप्यूटरों की खरीद के लिए राज्य को 6.216 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी। हालाँकि, अभी तक कोई कंप्यूटर नहीं खरीदा गया है।

2.2 राज्य ने 1554 कंप्यूटरों की खरीद की मंजूरी को कैरी ओवर के रूप में मानने और वर्ष 2022-23 के दौरान 6.216 करोड़ रुपये की धनराशि का उपयोग करने का अनुरोध किया है।

2.3 सीईसी ने कंप्यूटर के प्रस्ताव पर विचार किया और 40,000/- प्रति कंप्यूटर की दर से 1554 कंप्यूटरों की खरीद के लिए 6.216 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी। राज्य सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि वे एक महीने की अवधि के भीतर कंप्यूटरों की खरीद पूरी कर लेंगे। राजस्थान का बजट सारांश तदनुसार संशोधित किया गया है और **अनुबंध-I** में संलग्न है।

एजेंडा-3: राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की वार्षिक कार्य योजनाएँ

आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, मणिपुर, मेघालय, तेलंगाना और दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव जैसे 8 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की वार्षिक कार्य योजनाओं (एएपी) पर सीईसी द्वारा विचार किया गया। सीईसी की टिप्पणियों और अनुमोदित बजट सारांश का विवरण इस प्रकार है:

<u>3.1 आंध्र प्रदेश:</u>

3.1.1 सीईसी समिति के अध्यक्ष ने राज्य पीआर अधिनियम में अनिवार्य रूप से स्थायी समितियों की संख्या के बारे में जानकारी ली और इस संबंध में जीओ को जानकारी देने को कहा। उन्होंने कहा कि राज्य में टीएमपी के माध्यम से सभी प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे और प्रत्येक प्रतिभागी के लिए प्रमाण पत्र तैयार किए जाएंगे। सीबीएंडटी गतिविधियों की निगरानी एमओपीआर द्वारा मासिक आधार पर की जाएगी और अगले वर्ष की योजना की जांच सीबीएंडटी की प्रगति और टीएमपी/आरजीएसए-एमआईएस पर रिपोर्ट की गई अन्य गतिविधियों के आधार पर की जाएगी। अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (एएसएंडएफए) ने कहा कि राज्य को 30 सितंबर 2022 तक राज्य वित्त विभाग द्वारा पिछले वर्ष जारी किए गए केंद्रीय हिस्से के बराबर राज्य का हिस्सा जारी करना सुनिश्चित करना चाहिए। इसके बाद, राज्य को समेकित निधि (प्रारंभिक शेष, केंद्रीय हिस्सा, राज्य का हिस्सा और ब्याज) का 75% उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए और इसे एसएनए रिपोर्ट में दर्शाया जाना चाहिए। जिसके आधार पर, राज्य को एएपी के लिए निधि जारी करने के लिए यूसी जमा करना होगा। मंत्रालयों और राज्यों को पीएफएमएस अनुपालन के लिए निरंतर सहायता/प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है ताकि सभी डेटा अपलोड करना और मंत्रालयों द्वारा वास्तविक समय की निगरानी सुनिश्चित की जा सके। सीईसी ने 724 ग्राम पंचायत भवनों की मरम्मत, सीएससी को-लोकेशन के 500 अतिरिक्त कमरे और कंप्यूटर और सहायक उपकरण

की 500 इकाइयों की अनुमोदित कैरीओवर गतिविधियों के लिए ब्लॉक और जिलों के साथ जीपी की सूची प्रदान करने का निर्देश दिया। यह भी निर्देश दिया गया कि इन गतिविधियों को इसी वित्तीय वर्ष में पूरा किया जाए, क्योंकि अगले आम बैठक में इन पर विचार नहीं किया जा सकता। आंध्र प्रदेश राज्य की स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना का विस्तृत बजट सारांश **अनुबंध-II** में दिया गया है।

3.2 छत्तीसगढ़:

छत्तीसगढ़ राज्य ने 2022-23 के लिए राज्य की वार्षिक कार्य योजना के तहत प्रस्तावित 5 नए जिला पंचायत संसाधन केंद्रों (डीपीआरसी) को मंजूरी देने के लिए सीईसी से विचार करने का अनुरोध किया। यह बताया गया कि 5 नए जिले बनाए गए हैं, जिनमें से अधिकांश पीईएसए और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आते हैं, जहां बुनियादी ढांचे की उपलब्धता खराब है और लगभग सभी मापदंडों में पिछड़े हैं। सीईसी ने पिछड़े क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए खराब बुनियादी ढांचे की उपलब्धता के साथ सैद्धांतिक मंजूरी दी, इस शर्त के अधीन कि राज्य भूमि की पहचान/उपलब्धता, डीपीआरसी को पूरा करने के लिए कार्य योजना/समय सीमा का विवरण प्रदान करे। इसके अलावा, सीईसी द्वारा यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई कि इस वित्तीय वर्ष के दौरान प्रमुख कार्यों को पूरा किया जाए और किसी भी स्थिति में इसे अगले वित्तीय वर्ष के बाद आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। सीईसी ने 54 ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण और 231 ग्राम पंचायत भवनों की मरम्मत की अनुमोदित गतिविधियों के लिए ब्लॉक और जिलों के साथ जीपी की सूची प्रदान करने का निर्देश दिया। यह भी निर्देश दिया गया कि इन गतिविधियों को इसी वित्तीय वर्ष में पूरा किया जाए, क्योंकि अगले ए.ए.ए. में इसे मंजूरी के लिए नहीं माना जा सकता है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना का विस्तृत बजट सारांश अनुबंध-III में है।

3.3 गुजरात:

गुजरात सरकार ने मंत्रालय की पिछली योजनाओं से राज्य के पास उपलब्ध अप्रयुक्त शेष राशि के कारण आर.जी.एस.ए. के तहत धन का लाभ नहीं उठाया है। हालांकि, राज्य द्वारा यह अवगत कराया गया कि इस वर्ष ए.ए.ए. मुख्य रूप से सी.बी.एंड.टी. घटकों के तहत व्यय योजना को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। तदनुसार, राज्य के बजट में बी.ई. चरण में राज्य के हिस्से के लिए प्रावधान किया गया है, लेकिन यह केंद्रीय हिस्से से मेल नहीं खाता है और इसे आर.ई. चरण में बढ़ाया जाएगा। सी.ई.सी. ने योजना पर विचार किया और इस टिप्पणी के साथ अनुमोदन प्रदान किया कि राज्य जल्द से जल्द उपलब्ध शेष राशि को समाप्त करने के लिए, राज्य के बजट के आर.ई. राज्य में राज्य के हिस्से के मिलान का प्रावधान करे और धन जारी करने के लिए पी.एफ.एम.एस. अनुपालन के साथ अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करे। गुजरात राज्य की स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना का विस्तृत बजट सारांश अनुबंध-IV में है।

3.4 हरियाणा:

हरियाणा राज्य ने अवगत कराया कि पंचायत के चुनाव होने वाले हैं तथा उम्मीद है कि चुनाव की प्रक्रिया अक्टूबर-नवंबर, 2022 तक पूरी हो जाएगी। सीईसी ने सलाह दी कि राज्य पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव शुरू कर दें। अन्य गतिविधियों के अलावा, राज्य ने 383 जीपी भवन के निर्माण, 473 जीपी भवन की मरम्मत तथा जीपी भवन में सीएससी के सह-स्थान के लिए 1665 अतिरिक्त कमरों के निर्माण के लिए आगे की गतिविधि प्रस्तावित की, जिस पर सीईसी ने विचार किया तथा जीपी भवन के निर्माण एवं मरम्मत तथा सीएससी सह-स्थान की कार्य योजना पर विस्तृत नोट तथा जीपी, ब्लॉक तथा जिलों की सूची प्रस्तुत करने की शर्त पर सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की। सीईसी ने यह भी निर्देश दिया कि इन आगे की गतिविधियों को इसी

वित्तीय वर्ष में पूरा किया जाए, क्योंकि हो सकता है कि अगले एएपी में इसे मंजूरी के लिए विचार न किया जाए। हरियाणा राज्य की स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना का विस्तृत बजट सारांश अनुबंध-V में है।

3.5 मणिपुर:

मणिपुर राज्य सरकार ने उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में जिला स्तर पर खराब बुनियादी ढांचे की उपलब्धता का हवाला देते हुए ए.ए.पी. में प्रस्तावित 12 डी.पी.आर.सी. को मंजूरी देने का अनुरोध किया। सी.ई.सी. ने पूर्वोत्तर राज्यों में खराब बुनियादी ढांचे की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए मंजूरी दे दी और निर्देश दिया कि राज्य डी.पी.आर.सी. को पूरा करने के लिए भूमि की पहचान/उपलब्धता, कार्य योजना/समय-सीमा का विवरण प्रदान करें। इसके अलावा, सी.ई.सी. ने इस वित्तीय वर्ष के दौरान प्रमुख कार्यों को पूरा करने को सुनिश्चित करने की सलाह दी और किसी भी स्थिति में इसे अगले वित्तीय वर्ष के बाद आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। सी.ई.सी. ने 27 ग्राम पंचायत भवनों, सी.एस.सी. सह-स्थान के 15 अतिरिक्त कमरों के निर्माण की अनुमोदित कैरीओवर गतिविधियों के लिए ब्लॉक और जिलों के साथ-साथ ग्राम पंचायतों की सूची प्रदान करने का निर्देश दिया। 60 ग्राम पंचायतों की सूची भी प्रदान करने की इच्छा व्यक्त की गई, जिनके लिए 60 नए कंप्यूटर और सहायक उपकरण खरीदे जाने का प्रस्ताव है। यह भी निर्देश दिया गया कि इन कैरीओवर गतिविधियों को इसी वित्तीय वर्ष में पूरा किया जाए, क्योंकि अगले ए.ए.पी. में अनुमोदन के लिए इस पर विचार नहीं किया जा सकता है। मणिपुर राज्य की अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना का विस्तृत बजट सारांश अनुबंध-VI में है।

3.6 मेघालय:

सीईसी ने मेघालय की एएपी पर विचार किया और पंचायत इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत नई और आगे की गतिविधियों तथा ई-सक्षमता के तहत आगे की गतिविधियों को शामिल करते हुए इसे मंजूरी दी। सीईसी ने 30 टीएलबी की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, जहां पंचायत भवन का निर्माण किया जाएगा। साथ ही 92 टीएलबी की सूची भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, जहां सीएससी सह-स्थान के अतिरिक्त कमरे और कंप्यूटर और सहायक उपकरण की खरीद के लिए 1177 टीएलबी प्रस्तावित हैं। पीबी के निर्माण और कंप्यूटर और सहायक उपकरण की खरीद से संबंधित गतिविधियों को चालू वित्तीय वर्ष में पूरा किया जाना चाहिए। यह भी सलाह दी गई कि प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा होने के बाद सभी प्रतिभागियों को टीएमपी पोर्टल से ई-प्रमाणपत्र जारी किए जाने चाहिए। राज्य को राज्य के हिस्से की रिहाई में तेजी लाने के लिए वित्त विभाग के साथ मिलकर काम करना चाहिए और सभी पीएफएमएस मॉड्यूल के अनुपालन के साथ अक्टूबर, 2022 के महीने में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए संशोधित आरजीएसए की अनुमोदित कार्य योजना की पहली किस्त के लिए आना चाहिए। मेघालय राज्य की स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना का विस्तृत बजट सारांश अनुबंध-VII में है।

3.7 तेलंगाना:

सीईसी ने 2020-21 के दौरान जारी केंद्रीय हिस्से के मुकाबले तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए मिलान वाले राज्य हिस्से के जारी होने के बारे में पूछताछ की। राज्य द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य का हिस्सा अभी तक जारी नहीं किया गया है। एएस एंड एफए ने कहा कि डीओई ने राज्य के हिस्से को जारी करने के लिए 30 सितंबर, 2022 तक का समय बढ़ा दिया है, अगर समय सीमा के भीतर इसका अनुपालन नहीं किया जाता है, तो राज्य को भारत के समेकित कोष में राज्य को जारी केंद्रीय हिस्सा जमा करना होगा। सीईसी ने केंद्रीय हिस्से को तुरंत जारी करने और अन्य पीएफएमएस अनुपालन को पूरा करने की सलाह दी। अन्य गतिविधियों के अलावा, राज्य ने 675 ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण, 652 ग्राम पंचायत भवनों की मरम्मत, ग्राम पंचायत भवन में सीएससी के सह-स्थापन के लिए 60 अतिरिक्त कमरों का निर्माण और 1812 कंप्यूटरों

और सहायक उपकरणों की खरीद के लिए आगे की गतिविधि का प्रस्ताव रखा, जिस पर सीईसी ने विचार किया और ग्राम पंचायत भवन के निर्माण और मरम्मत, सीएससी सह-स्थापन और ग्राम पंचायतों, ब्लॉकों और जिलों की सूची के साथ कंप्यूटरों और सहायक उपकरणों की खरीद की कार्य योजना पर विस्तृत नोट प्रस्तुत करने की शर्त पर सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। सीईसी द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि इन गतिविधियों को इसी वित्तीय वर्ष में पूरा किया जाए, क्योंकि अगले एएपी में इसे मंजूरी के लिए नहीं माना जा सकता है। तेलंगाना राज्य की अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना का विस्तृत बजट सारांश **अनुबंध-VIII** में है।

3.8 दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव:

सीईसी के अध्यक्ष ने कहा कि दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव एक छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें बहुत कम संख्या में ग्राम पंचायतें (जीपी) हैं, जिनमें से कई जीपी औद्योगिक हैं तथा उनके पास पर्याप्त स्वयं राजस्व स्रोत है। स्थायी समिति के सदस्यों सहित सभी ईआर के उचित प्रशिक्षण के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश की सभी जीपी को मॉडल जीपी के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। नियमित ग्राम सभाओं तथा समितियों की बैठकें पूर्ण कोरम के साथ आयोजित की जानी चाहिए तथा कार्यवृत्त को उचित रूप से दर्ज किया जाना चाहिए। वार्षिक कार्य योजना (एएपी) तथा अगले वर्ष से निधि जारी करने के विचार के रूप में टीएमपी पोर्टल के माध्यम से किए जाने वाले सभी प्रशिक्षण आरजीएसए-एमआईएस तथा टीएमपी पोर्टल पर रिपोर्ट की गई प्रगति पर आधारित होंगे। केंद्र शासित प्रदेश को समेकित निधि (प्रारंभिक शेष, केंद्रीय हिस्सा, राज्य हिस्सा तथा ब्याज) का 75% उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए तथा इसे एसएनए रिपोर्ट में दर्शाया जाना चाहिए। जिसके आधार पर, राज्य वित्त वर्ष 2022-23 में स्वीकृत एएपी के लिए निधि जारी करने के लिए यूसी प्रस्तुत करेंगे। दादरा नगर हवेली और दमन दीव की अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना का विस्तृत बजट सारांश **अनुबंध-IX** में है।

अनुबंध -I राजस्थान राज्य की 2022-23 की अनुमोदित आम आदमी पार्टी का बजट सारांश

(राशि करोड़ रूपए में**)**

क्र.सं	घटक	सीईसी द्वारा अनुशंसित राशि
1	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण	
i	सामान्य अभिमुखीकरण (194981 प्रतिभागी)/ पुनश्चर्या कार्यक्रम प्रशिक्षण (81478 ई.आर.जी.पी.)	45.465
ii	पंचायत विकास योजना (73186 प्रतिभागी)	12.105
iii	विषयगत प्रशिक्षण - (46334 भाग)	7.019
iv	पीईएसए विशेष प्रशिक्षण (23646 भाग)	4.105
v	कोई अन्य प्रशिक्षण (19006 भाग में प्रस्तावित अन्य प्रशिक्षण, सी.बी.एंड.टी. अन्य गतिविधियाँ शामिल हैं)	2.532
vi	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ (352 हैंडहोल्डिंग, टीएनए, प्रशिक्षण मॉड्यूल एवं सामग्री का विकास, ईवी (1155 के अंदर, 300 के बाहर), 5 पीएलसी, सीबीएंडटी का मूल्यांकन, एमटी का अतिरिक्त प्रशिक्षण 2842)	9.988
	सीबीएंडटी की कुल संख्या	**81.214**
2	संस्थागत बुनियादी ढांचा	
i	डीपीआरसी निर्माण किराए की इमारत (3 इकाई)	0.18
ii	जिला स्तर पर प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे और उपकरणों की किराये पर व्यवस्था	0.045
iii	किराए की इमारत पर बीपीआरसी (57 इकाई)	2.052
iv	ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे और उपकरणों की किराये पर व्यवस्था	0.168
	ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण अवसंरचना एवं उपकरणों की भर्ती	**2.445**
3	संस्थागत अवसंरचना का योग	
i	संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती लागत)	0.84
ii	एसपीआरसी आवर्ती लागत	6.60
iii	डीपीआरसी आवर्ती लागत (33 डीपीआरसी)	12.39
	बीपीआरसी आवर्ती लागत (295 कार्यात्मक बीपीआरसी)	**19.83**
4	कुल (आवर्ती लागत)	**1.05**
5	सैटकॉम या आईपी आधारित तकनीक के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा सुविधा	
i	पीबी का निर्माण (43 कैरी ओवर)	8.60
ii	पीबी की मरम्मत (180 कैरी ओवर)	7.20
iii	सीएससी का सह-स्थान (177 कैरी ओवर@ 4 लाख)	7.08
	कुल पीआई	**22.88**
6	कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)	
i	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू)	0.176
ii	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (25 डीपीएमयू)	2.152
iii	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (297 बीपीएमयू)	10.164
	पीएमयू का कुल योग	**12.492**
7	पीईएसए क्षेत्र में ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए विशेष सहायता	**7.468**
8	पंचायतों का ई.सक्षमीकरण	

i	कंप्यूटर और सहायक उपकरण (1554 कैरी ओवर @40,000/-)	6.216
	ई.सक्षमीकरण का कुल योग	**6.216**
	योग	**153.595**
9	आईईसी (स्वीकृत योजना आकार का 2% तक)	3.071
10	पीएमयू (स्वीकृत योजना आकार का 1.5% तक)	2.303
	कुल योजना	**158.969**

अनुबंध -II

आंध्र प्रदेश राज्य की 2022-23 की स्वीकृत आम आदमी पार्टी का बजट सारांश

(राशि करोड़ रूपए में**)**

क्र.सं	घटक	सीईसी द्वारा अनुशंसित राशि
1.	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण	
क.	सामान्य अभिमुखीकरण प्रशिक्षण (12131 प्रतिभागी)/ पुनश्चर्या	6.51
ख.	कार्यक्रम प्रशिक्षण (0-ईआर/पीएफ)	130.88
ग.	पंचायत विकास योजना प्रशिक्षण (890829 प्रतिभागी)	57.06
घ.	विषयगत प्रशिक्षण (210003 प्रतिभागी)	27.56
ङ.	विशेष प्रशिक्षण (344706 प्रतिभागी)	33.00
च.	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ (टीएनए, प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास, एक्सपोजर विजिट (राज्य के अंदर 5000 प्रतिभागी और राज्यों के बाहर 3000 प्रतिभागी), 9 पीएलसी, सीबी का मूल्यांकन, विषयगत क्षेत्रों में 100 एमटी, जीपी को सहायता प्रदान करना-1370)	16.69
	सीबीएंडटी की कुल संख्या	**271.7**
2.	संस्थागत अवसंरचना	
क.	किराए के भवन में एसपीआरसी	0.00
ख.	किराए के भवन में डीपीआरसी (13 नए जिले)	0.78
ग.	जिला स्तर पर प्रशिक्षण अवसंरचना एवं उपकरण किराए पर लेना	0.11
घ.	किराए के भवन में बीपीआरसी (660 ब्लॉक)	23.76
ङ.	ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण अवसंरचना और उपकरण किराए पर लेना	1.36
	संस्थागत अवसंरचना का कुल	**26.02**
3.	संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती लागत)	
क.	एसपीआरसी आवर्ती लागत	0.84
ख.	डीपीआरसी आवर्ती लागत (26 डीपीआरसी)	5.2
ग.	बीपीआरसी आवर्ती लागत (660 बीपीआरसी)	27.72
	कुल (आवर्ती लागत)	**33.76**
4.	सैटकॉम या आईपी-आधारित प्रौद्योगिकी के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा सुविधा (1 राज्य स्तरीय स्टूडियो और 13 एसआईटी और रखरखाव	**1.66**
5.	पंचायत अवसंरचना (पीआई) के लिए सहायता	
क.	पंचायत भवन निर्माण	0.00
ख.	पीबी की मरम्मत (724 कैरी ओवर गतिविधि)	**28.96**
ग.	सीएससी का सह-स्थान (500 कैरी ओवर गतिविधि)	**20.00**
	कुल पीआई	**48.96**
6.	कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)	
क.	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू)	0.264
ख.	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (26 डीपीएमयू)	2.81
ग.	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (660 बीपीएमयू)	31.68
	कुल पीएमयू	**34.75**

7.	पेसा क्षेत्र में ग्राम सभा को मजबूत बनाने के लिए विशेष सहायता	**6.28**
8.	पंचायतों का ई-सक्षमीकरण	
क.	कंप्यूटर और सहायक उपकरण 500 यूनिट कैरीओवर गतिविधियाँ	2.50
ख.	स्थानीय भाषा में अनुप्रयोगों के लिए अनुवाद	0.00
	ई-सक्षमीकरण पंचायतें	**2.50**
6.	अन्य घटक (यदि कोई हो तो कैरी ओवर सहित)	
	योग	**425.63**
8.	आईईसी (स्वीकृत योजना आकार का 2% तक)	8.51
9.	पीएमयू (स्वीकृत योजना आकार का 1.5% तक)	6.38
	कुल योजना	**440.52**

अनुबंध -III

छत्तीसगढ़ राज्य की 2022-23 की स्वीकृत एएपी का बजट सारांश

(राशि करोड़ रूपए में)

क्र.सं	**घटक**	**सीईसी द्वारा अनुशंसित राशि**
1.	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण	
i	सामान्य अभिमुखीकरण प्रशिक्षण (127070 प्रतिभागी)	12.04
ii	पुनश्चर्या कार्यक्रम प्रशिक्षण (3379 प्रतिभागी)	1.31
iii	पंचायत विकास योजना प्रशिक्षण (13819 प्रतिभागी)	2.37
iv	विशेष प्रशिक्षण (1000 प्रतिभागी)	0.60
v	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण टीएनए के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ, प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास, राज्य के भीतर प्रशिक्षण सामग्री एक्सपोजर यात्रा (500 प्रतिभागी) और राज्यों के बाहर (200 प्रतिभागी)	1.52
	सीबीएंडटी का कुल	**17.85**
2	संस्थागत अवसंरचना (5 नए डीपीआरसी का निर्माण)	**10.00**
3.	संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती लागत)	
i	एसपीआरसी आवर्ती लागत	0.84
ii	डीपीआरसी आवर्ती लागत (26डीपीआरसी)	5.20
iii	बीपीआरसी आवर्ती लागत (146 बीपीआरसी)	6.11
	कुल (आवर्ती लागत)	**12.15**
4.	सैटकॉम या आईपी-आधारित प्रौद्योगिकी के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा सुविधा (1 राज्य स्तरीय स्टूडियो, रखरखाव और मानव संसाधन)	**3.03**
5.	पंचायत अवसंरचना के लिए सहायता (पीआई)	
i	पंचायत भवन निर्माण (54 कैरीओवर)	6.21
ii	सीएससी की जीपी की मरम्मत (231 कैरीओवर)	7.85
	कुल पीआई	**14.06**
6.	पीईएसए क्षेत्र में ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए विशेष सहायता	**8.19**
7.	कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)	
i	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू)	0.26
ii	28 डीपीएमयू के लिए जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (डीपीएमयू)	3.02
iii	146 बीपीएमयू के लिए ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (बीपीएमयू)	6.98
	पीएमयू का कुल	**10.27**
	योग	**75.55**
8.	आईईसी (स्वीकृत योजना आकार का 2% तक)	1.51
9.	पीएमयू (स्वीकृत योजना आकार का 1.5% तक)	1.13
	कुल योजना	**78.19**

अनुबंध -IV

गुजरात राज्य की 2022-23 की स्वीकृत एएपी का बजट सारांश

(राशि करोड़ रूपए में**)**

क्र.सं	घटक	सीईसी द्वारा अनुशंसित राशि
1.	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण	
i	सामान्य अभिमुखीकरण (36727 प्रतिभागी)	3.82
ii	पंचायत विकास योजना (36727 प्रतिभागी)	3.82
iii	विषयगत प्रशिक्षण एवं विशेष प्रशिक्षण - (36727 प्रतिभागी)	3.82
iv	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ (हैंडहोल्डिंग - 2850, टीएनए, प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास, 15000 के अंदर और 750 के बाहर एक्सपोजर विजिट, पीएलसी - 10, सीबी का मूल्यांकन, विषयगत क्षेत्रों में अतिरिक्त एमटी - 132)	14.19
	सीबीएंडटी की कुल	**25.65**
2.	संस्थागत अवसंरचना	
i	किराए के भवन में एसपीआरसी निर्माण (1)	0.09
ii	किराए के भवन में डीपीआरसी निर्माण) (33)	1.98
iii	किराए के भवन में बीपीआरसीएस की स्थापना (248)	8.93
iv	जिला स्तर पर प्रशिक्षण अवसंरचना एवं उपकरणों की खरीद	0.00490
v	ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण अवसंरचना एवं उपकरणों की खरीद	0.105
	कुल संस्थागत अवसंरचना	**11.11**
3.	संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती लागत)	
i	एसपीआरसी आवर्ती लागत	0.318
ii	डीपीआरसी आवर्ती लागत	2.178
iii	बीपीआरसी आवर्ती लागत	5.95
	कुल (आवर्ती लागत)	**8.44**
4.	सैटकॉम या आईपी आधारित तकनीक के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा सुविधा	**1.00**
5.	कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)	
i	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू)	0.21
ii	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (डीपीएमयू)	2.17
iii	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (बीपीएमयू)	5.91
	पीएमयू का कुल योग	**8.29**
6.	पीईएसए क्षेत्र में ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए विशेष सहायता	**1.60**
	उप-कुल योजना	**56.09**
7.	आईईसी (स्वीकृत योजना आकार का 2% तक)	1.12
8.	पीएमयू (स्वीकृत योजना आकार का 1.5% तक)	0.84
	कुल योजना	**58.05**

अनुबंध -V

हरियाणा राज्य की 2022-23 की स्वीकृत एएपी का बजट सारांश

(राशि करोड़ रूपए में**)**

क्र.सं	घटक	सीईसी द्वारा अनुशंसित राशि
1.	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण	
i	जनरेशन ओरियंटेशन (70641ईआर/जीपी प्रतिभागी)	21.69
ii	पंचायत विकास योजना प्रशिक्षण (17588 प्रतिभागी)	3.66
iii	विषयगत प्रशिक्षण (51761 प्रतिभागी)	9.069
iv	विशेष प्रशिक्षण (14040 प्रतिभागियों का प्रशिक्षण)	1.502
v	कोई अन्य प्रशिक्षण (1640 प्रतिभागियों का प्रशिक्षण)	0.401
vi	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ (हैंडहोल्डिंग, टीएनए, प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास, प्रशिक्षण सामग्री का विकास, एक्सपोजर विजिट (1000 के अंदर और 6500 के बाहर), 25 पीएलसी, विषयगत क्षेत्र में सीबी, एमटी का मूल्यांकन, अन्य)	21.70
	सीबीएंडटी का कुल	**58.02**
2.	संस्थागत अवसंरचना	
i	किराए के भवन पर डीपीआरसी (20 नए)	1.20
ii	जिला स्तर पर प्रशिक्षण अवसंरचना एवं उपकरणों की खरीद	0.00
iii	किराए के भवन पर बीपीआरसी (143 नए)	5.148
iv	ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण अवसंरचना एवं उपकरणों की खरीद	0.00
	कुल (संस्थागत अवसंरचना)	**6.348**
3.	संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती लागत)	
i	एसपीआरसी आवर्ती लागत	0.840
ii	डीपीआरसी आवर्ती लागत	4.40
iii	बीपीआरसी आवर्ती लागत	6.00
	कुल (आवर्ती लागत)	**11.24**
4.	सैटकॉम या आईपी-आधारित प्रौद्योगिकी के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा सुविधा (36 यूनिट)	**1.44**
5.	पंचायत अवसंरचना (पीआई) के लिए सहायता	
i	पंचायत भवन निर्माण (383 कैरी ओवर)*	76.60
ii	सीएससी का सह-स्थान (473 कैरी ओवर)*	23.65
iii	जीपी भवन की मरम्मत (1665 कैरी ओवर)*	83.25
	कुल पीआई	**183.50**
6.	कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)	
i	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू)	0.264
ii	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (22 डीपीएमयू)	2.38
iii	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (286 बीपीएमयू)	6.864
	पीएमयू का कुल	**9.508**
7.	पीईएसए क्षेत्र में ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए विशेष समर्थन	**0.00**
	अन्य घटकों का कुल	**0.00**

	योग	**279.51**
8.	आईईसी (स्वीकृत योजना आकार का 2% तक)	5.40
9.	पीएमयू (स्वीकृत योजना आकार का 1.5% तक)	4.05
	कुल योजना	**279.51**

* राज्य सरकार द्वारा डिजिटल पंचायतों के लिए शुरू की गई प्रगति और कार्रवाई के साथ-साथ सीएससी सह-स्थापन की कार्य योजना पर विस्तृत नोट प्रस्तुत करने के अधीन सैद्धांतिक अनुमोदन।

मणिपुर राज्य की 2022-23 की स्वीकृत एएपी बजट सारांश

(राशि करोड़ रूपए में)

क्र.सं	**घटक**	**सीईसी द्वारा अनुशंसित राशि**
1	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण	
i	सामान्य अभिमुखीकरण (2880 प्रतिभागी)	0.97
ii	जीपीडीपी/बीपीडीपी/डीपीडीपी के लिए प्रशिक्षण (2720 प्रतिभागी)	1.998
iii	विषयगत प्रशिक्षण (11260 प्रतिभागी)	3.53
iv	विशेष प्रशिक्षण (5520 प्रतिभागी)	1.85
v	कोई अन्य प्रशिक्षण (11370 प्रतिभागी)	3.54
vi	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ (161 (जीपी) हैंडहोल्डिंग, टीएनए, प्रशिक्षण मॉड्यूल और सामग्री का विकास, एक्सपोजर विजिट (अंदर 880, बाहर: 289) पीएलसी 4, सीबीएंडटी का मूल्यांकन, अतिरिक्त प्रशिक्षण एमटी: 880)	4.263
	सीबीएंडटी का कुल	**16.151**
2	संस्थागत अवसंरचना	
i	डीपीआरसी निर्माण (केवल पूर्वोत्तर राज्यों के लिए)/(12 नई इकाई)	24.00
ii	किराए के भवन पर बीपीआरसी (18 इकाई)	0.65
	संस्थागत अवसंरचना का कुल	**24.65**
3	सैटकॉम या आईपी आधारित प्रौद्योगिकी के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा सुविधा	
i	राज्य स्तर पर स्टूडियो (1.00 करोड़ रुपये तक)1 यूनिट	1.00
ii	सैटेलाइट इंटरएक्टिव टर्मिनल (एसआईटी) (1.5 लाख रुपये प्रति एसआईटी) 5 यूनिट	0.075
	कुल सैटकॉम या आईपी आधारित तकनीक	**1.075**
4	पंचायत इंफ्रास्ट्रक्चर (पीआई) के लिए सहायता	
i	पीबी का निर्माण (27 कैरी ओवर)	4.90
ii	सीएससी कैरी ओवर का सह-स्थान 15 (3 कैरी ओवर और 12 नए)	0.75
	पीआई का योग	**5.65**
5	कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)	
i	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू)	0.036
ii	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (6 डीपीएमयू)	0.65
iii	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (18 बीपीएमयू)	0.43
	पीएमयू का योग	**1.116**
6	पंचायतों का ई.सक्षमीकरण	
i	कंप्यूटर और सहायक उपकरण 60 नए	0.30
	ई.सक्षमीकरण का कुल योग	**0.30**
	योग	**48.912**
7	आईईसी (स्वीकृत योजना आकार का 2% तक)	0.978
8	पीएमयू (स्वीकृत योजना आकार का 1.5% तक)	0.733
	कुल योजना	**50.653**

मेघालय राज्य के 2022-23 के अनुमोदित एएपी का बजट सारांश

(राशि करोड़ रूपए में**)**

क्र.सं	**घटक**	**सीईसी द्वारा अनुशंसित राशि**
1	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण	
i	सामान्य अभिमुखीकरण (1200 प्रतिभागी)	0.18
ii	पुनश्चर्या कार्यक्रम प्रशिक्षण (11500 प्रतिभागी)	1.15
iii	पंचायत विकास योजना (14312 प्रतिभागी)	1.57
iv	विषयगत प्रशिक्षण - (13662 प्रतिभागी)	12.99
v	विशेष प्रशिक्षण (10239 प्रतिभागी)	1.09
vi	कोई अन्य प्रशिक्षण (150 प्रतिभागी)	0.04
vii	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ (80 जीपी-हैंडहोल्डिंग, टीएनए, प्रशिक्षण मॉड्यूल और सामग्री का तैयार करना, ईआर का एक्सपोजर दौरा - भीतर: 300, बाहर: 200, पीएलसी-9, सीबीएंडटी का मूल्यांकन; 15 अतिरिक्त एमटी)	1.80
	सीबीएंडटी का कुल	**18.82**
2	संस्थागत बुनियादी ढांचा	
i.	किराए के भवन में एसपीआरसी	0.09
i	डीपीआरसी निर्माण (केवल पूर्वोत्तर राज्यों के लिए)/किराए के भवन) (1 डीपीआरसी)	2.00
ii	किराए के भवन में डीपीआरसी (2 डीपीआरसी)	0.12
iii	जिला स्तर पर प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे और उपकरणों को हायर करना (जिला स्तर पर कुल प्रशिक्षण का 1%)	0.008
iv	किराये की इमारत (20 बीपीआरसी)	0.72
v	ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे और उपकरणों को किराए पर लेना (जिला स्तर पर कुल प्रशिक्षण का 1%)	0.16
	संस्थागत बुनियादी ढांचे का कुल	**3.098**
3	संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती लागत)	
i	एसपीआरसी आवर्ती लागत	0.84
ii	डीपीआरसी आवर्ती लागत	2.40
iii	बीपीआरसी आवर्ती लागत	1.93
	कुल (आवर्ती लागत)	**5.17**
4	पंचायत अवसंरचना के लिए सहायता (पीआई)	
i	पीबी का निर्माण (16 पीबी नया)	3.20
ii	पीबी का निर्माण (14 पीबी कैरी ओवर)	2.80
iii	सीएससी का सह-स्थान (92)	4.60
	कुल पीआई	**10.6**
5	कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)	
i	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू)	0.26
ii	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (DPMU)	1.30

iii	ब्लॉक प्रोग्राम प्रबंधन इकाई (बीपीएमयू)	2.21
	कुल पीएमयू	**3.77**
6	ई.पंचायतों को सक्षम बनाना	
i	कंप्यूटर और सहायक उपकरण (1177 कैरी ओवर)	5.88
ii	स्थानीय भाषा में एप्लिकेशनों का अनुवाद	0.10
	ई.सक्षमता का कुल	**5.98**
	योग	**47.438**
7	आईईसी (अनुमोदित योजना आकार का 2% तक)	0.94
8	पीएमयू (तक) स्वीकृत योजना आकार का 1.5%	0.71
	कुल योजना	**49.088**

अनुबंध -VIII

तेलंगाना राज्य की 2022-23 की स्वीकृत एएपी का बजट सारांश

(राशि करोड़ रूपए में**)**

क्र.सं	घटक	सीईसी द्वारा अनुशंसित राशि
1.	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण	
i	पीढ़ी अभिविन्यास (120683 प्रतिभागी)/पुनश्चर्या प्रशिक्षण(4880 ईआरएस जीपी प्रतिभागी)	27.84
ii	पंचायत विकास योजना प्रशिक्षण (29405 प्रतिभागी)	13.47
iii	विषयगत प्रशिक्षण (138452 प्रतिभागी)	36.86
iv	विशेष प्रशिक्षण (7246 प्रतिभागी प्रशिक्षण)	4.16
v	कोई अन्य प्रशिक्षण (4240 प्रतिभागी प्रशिक्षण)	1.57
vi	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ (टीएनए, प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास, प्रशिक्षण सामग्री का विकास, एक्सपोजर विजिट (350 के अंदर और 1334 के बाहर), 9 पीएलसी (कैरी ओवर), सीबी का मूल्यांकन)	6.52
	कुल सीबीएंडटी	**90.42**
2.	संस्थागत अवसंरचना	
i	किराए के भवन पर बीपीआरसी (23 नए)	0.82
	कुल (संस्थागत अवसंरचना)	**0.82**
3	संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती लागत)	
i	एसपीआरसी आवर्ती लागत	0.734
ii	डीपीआरसी आवर्ती लागत	1.80
	कुल (आवर्ती लागत)	**2.534**
4	दूरस्थ शिक्षा सुविधा सैटकॉम या आईपी आधारित	**9.08**
5.	पंचायत अवसंरचना (पीआई) के लिए सहायता	
i	पंचायत भवन निर्माण (675 कैरी ओवर)	**135.00**
ii	सीएससी का सह-स्थान (60 कैरी ओवर)	**2.40**
iii	जीपी भवन की मरम्मत (652 कैरी ओवर)	**26.08**
	कुल पीआई	**163.48**
6.	कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)	
i	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू)	0.264
ii	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (32 डीपीएमयू)	4.99
iii	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (1078 बीपीएमयू)	25.87
	कुल पीएमयू	**31.124**
7.	पीईएसए क्षेत्र में ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए विशेष सहायता	**6.8796**
8.	पंचायतों का ई-सक्षमीकरण	
i	कंप्यूटर और सहायक उपकरण (1812 कैरी ओवर)	7.248

	पीईएसए क्षेत्र में ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए विशेष सहायता	**7.248**
	कुल ई-सक्षमीकरण	**311.5856**
9	आईईसी (स्वीकृत योजना आकार का 2% तक)	6.23
10	पीएमयू (स्वीकृत योजना आकार का 1.5% तक)	4.67
	कुल योजना	**322.48**

* राज्य सरकार द्वारा डिजिटल पंचायतों के लिए शुरू की गई प्रगति और कार्रवाई के साथ-साथ सीएससी सह-स्थापन की कार्य योजना पर विस्तृत नोट प्रस्तुत करने के अधीन सैद्धांतिक अनुमोदन।

संघ राज्य क्षेत्र दादरा नगर हवेली और दमन दीव के **2022-23** के स्वीकृत एएपी का सारांश

(राशि करोड़ रूपए में)

क्र.सं	घटक	सीईसी द्वारा अनुशंसित राशि
1.	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण	
ii	ईआर/पीएफ के लिए पुनश्चर्या कार्यक्रम प्रशिक्षण (जिसमें 38 सरपंच, 350 वार्ड पंच, 44 डीपी सदस्य, 30 पंचायत पदाधिकारी और 38 एसएचजी शामिल हैं)	0.375
iii	जीपीडीपी/डीपीडीपी के लिए प्रशिक्षण	0.2737
iv	विषयगत प्रशिक्षण - सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी)/क्षेत्रीय सक्षमकर्ताओं का स्थानीयकरण 9 विषयों के अंतर्गत प्रशिक्षण। (जिसमें 38 सरपंच, 350 वार्ड पंच, 44 डीपी सदस्य, 30 पंचायत पदाधिकारी, 25 लाइन विभाग के अधिकारी और लाइन विभाग के 63-क्षेत्रीय पदाधिकारी शामिल हैं)	0.2475
vi	कोई अन्य प्रशिक्षण (सामाजिक और ऑनलाइन लेखा परीक्षा के लिए प्रशिक्षण; वित्तीय प्रबंधन आदि)	0.03
2.	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ- (हैंडहोल्डिंग, टीएनए, प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास, एक्सपोजर विजिट, पीएलसी, सीबी का मूल्यांकन, विषयगत क्षेत्र में मीट्रिक टन, अन्य)	2.936
	सीबीएंडटी का कुल योग	**3.8622**
3.	संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती लागत)	
i	एसपीआरसी आवर्ती लागत	0.549
ii	डीपीआरसी आवर्ती लागत	0.46
	कुल (आवर्ती लागत)	**1.009**
4.	पंचायत अवसंरचना (पीआई) के लिए सहायता	
i	पीबी का निर्माण (13 पीबी- कैरी ओवर))	2.6
	कुल पीआई	**2.6**
5.	कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)	
i	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू)	0.126
ii	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (डीपीएमयू)	0.18
	कुल पीएमयू	**0.306**
6.	आईईसी (स्वीकृत योजना आकार का 2% तक)	0.1367
7.	पीएमयू (स्वीकृत योजना आकार का 1.5% तक)	0.1025
	कुल	**0.2392**
	कुल योजना	**8.0164**

<u>प्रतिभागियों की सूची एमओपीआर अधिकारी</u>

श्री सुनील कुमार, सचिव एवं सीईसी के अध्यक्ष
डॉ. चंद्र शेखर कुमार, अपर सचिव
सुश्री लीना जौहरी, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
सुश्री रेखा यादव, संयुक्त सचिव
सुश्री मालती रावत, निदेशक (सीबी/आईएफडी)
श्री पंकज कुमार, अवर सचिव
श्री बिजेंद्र खोला, अनुभाग अधिकारी
श्री सोनू कुमार, एएसओ
श्री पी.पी. बालन, परामर्शदाता (सीबी)
श्री एस.के. गुप्ता, परामर्शदाता (सीबी)
डॉ. मोहम्मद तौकीर खान, सलाहकार (सीबी)
सुश्री प्रज्ञा सिंह, परामर्शदाता (सीबी)
सुश्री पियाली रॉय, परामर्शदाता (सीबी)
श्री सत्येंद्र झा, परामर्शदाता (सीबी)
सुश्री प्रियंका दत्ता, परामर्शदाता (सीबी)
श्री सचिन चंद्रा, परामर्शदाता (सीबी)
श्री सुद्दासत्व बारिक, परामर्शदाता (सीबी)
श्री अभिषेक कुमार, परामर्शदाता (सीबी)
श्री कुणाल बंद्योपाध्याय, परामर्शदाता (सीबी)

<u>अन्य संबंधित मंत्रालयों के प्रतिभागी</u>

1. श्री संदीप सिंह, उप सचिव, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

<u>राज्य प्रतिनिधि</u>

1. श्री एम. सुधाकर राव, अतिरिक्त आयुक्त, एपीएसआईआरडी एवं पीआर, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश
2. श्री वाई. धोसी रेड्डी, संयुक्त निदेशक, एपीएसआईआरडी एवं पीआर, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश
3. श्री एस. मोहना राव, एसपीसी-आरजीएसए, पंचायती राज विभाग, आंध्र प्रदेश
4. श्री कार्तिकेय भगवान, आईएएस, निदेशक, पंचायती राज विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार
5. श्री दिनेश अग्रवाल, उप संचालक, पंचायती राज विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार
6. सुश्री रूपाली गुप्ता, राज्य समन्वयक (आरजीएसए), पंचायती राज विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार
7. डॉ. अपूर्व शर्मा, पंचायती राज विभाग, दादरा एवं नगर हवेली
8. डॉ. कृष्ण कुमार, निदेशक, हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, हरियाणा सरकार
9. श्री वीनस नथालिया, वरिष्ठ अभियंता (आरजीएसए), विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा सरकार
10. श्री विशाल सिंह रघुवंशी, एसपीआरसी, एसआईआरडी हरियाणा, जेंडर एवं महिला सशक्तिकरण विशेषज्ञ, हरियाणा सरकार
11. श्री प्रशांत माथुर, राज्य परियोजना प्रबंधक (आरजीएसए), विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा सरकार
12. श्री निमेश पटेल, सहायक विकास आयुक्त , पंचायत विभाग, गुजरात सरकार

13. श्री एम.एच. खान, अतिरिक्त मुख्य सचिव, आरडी एवं पीआर विभाग, मणिपुर सरकार
14. श्री रोबिन्द्रो, कार्यक्रम अधिकारी, आरडी एवं पीआर विभाग, मणिपुर सरकार
15. श्री मोहम्मद मशूद हुसैन, लेखाकार, आरडी एवं पीआर विभाग, मणिपुर सरकार
16. श्री आर.के. चंद्रकांत, एपीओ, आरडी एवं पीआर विभाग, मणिपुर सरकार
17. श्री के. अनिल कुमार, संयुक्त निदेशक (ए), टीएसआईआरडी, तेलंगाना सरकार
18. श्री पी. रामा राव, उपायुक्त, पंचायती राज एवं आरडी विभाग, तेलंगाना सरकार
19. श्री एस. आर. मीना, संयुक्त सचिव, जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार (वर्चुअली शामिल हुए)

****